/2172/2024

सत्यमेव जयते

संख्या : 2172/जी0एस0(शिक्षा)/A3-8(2)/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमांऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024**

महोदय,

कृपया कुमांऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफीलियेशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव **क्रमांक संख्या : 231219040157** दिनांक 28.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **द्रोण कालेज ऑफ एजुकेशन एन्ड टैक्नोलॉजी, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर** को **बी0ए0–(हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान)** पाठ्यक्रम में **शैक्षिक सत्र 2024–25** हेतु **नवीन अस्थाई सम्बद्धता** प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	**महाविद्यालय/संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
01	द्रोण कालेज ऑफ एजुकेशन एन्ड टैक्नोलॉजी, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान)	70 सीट प्रति विषय	2024–25

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) सम्बन्धित संस्थान यू0सी0जी0 विनियम 2009 के उपनियम 3.4.7 में निहित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 27-08-2024 15:35:54

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2024 02:18 pm

/2172/2024

/2172/2024

संख्या : 2172/जी0एस0(शिक्षा)/A3-8(2)/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2024 02:18 pm